

न्यायालय उपतहसीलदार विशाला, जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : देदाराम बामनिया

राजस्व आवेदन सं. 38/2025
प्रार्थी-

राज्य सरकार जरिये
पटवारी सुरा

बनाम

विप्रार्थी-

मांगीदान पुत्र विरधदान कौम-चारण
सा.सुरा चारणान



राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक - 30.07.2025

निर्णय

1. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का सुरा द्वारा 25.07.2025 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवत् 2082 के दौरान ग्राम सुरा चारणान के खसरा नम्बर 192/74 कुल रकबा 5.69800 हैक्टेयर किस्म गै.मु. मगरा भूमि में से 1.942488 हैक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा एवं काश्त कर अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। विप्रार्थी नियत पेशी तारीख पर उपस्थित।
2. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा एवं काश्त कर अतिक्रमण किया है जो अवैध है।
3. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत एकतरफा कार्यवाही कर अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रुपये 0.72 का 50 गुणा रुपये 36/- (अक्षरे छतीस रुपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।
4. भू-अभिलेख निरीक्षक सुरा एवं पटवारी सुरा को निर्देशित किया जाता है कि विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर फसल निलामी एवं जुर्माना राशि राज्य कोष में जमा करावे। भू-अभिलेख निरीक्षक तथा त.रा.ले. तहसील हाजा निर्णय से सूचित हो। मिसल बाद तामिल फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
5. निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देदाराम बामनिया)
उपतहसीलदार विशाला